न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—102/2024

प्रार्थिनीः—

श्रीमती शांतिदेवी पत्नी लालाराम जाति भील निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. खीमाराम पुत्र भगाराम जाति भील निवासी देवन्दी तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. घेवाराम पुत्र भगाराम जाति भील निवासी देवन्दी तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. चेनाराम पुत्र भगाराम जाति भील निवासी देवन्दी तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. श्रीमती नारायणीदेवी पत्नी भगाराम जाति भील निवासी देवन्दी तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. सुजाराम पुत्र भगाराम जाति भील निवासी देवन्दी तहसील सिवाना जिला बालोतरा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. श्री नेहपालसिंह व श्री थानसिंह भायल वकील प्रार्थिनी
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 24-07-2025

प्रार्थिनी द्वारा उक्त प्रार्थना रा.भू.अ. की धारा 131,136 के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया गया है संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि ग्राम दन्ताला में खसरा संख्या 434/312 व खसरा संख्या 436/315 अवस्थित है तथा प्रार्थिनी के खातेदारी भूमि के पडौसी में विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 310/4 व 44/313 अवस्थित है। खसरा संख्या 434/312 व खसरा संख्या 436/315 विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी भूमि थी तथा खसरा संख्या 310/4 व 44/313 प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि थी। तहसील सिवाना को डिजिटिलाईजेशन करते समय लिपिकीय प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 310/4 व 44/313 विप्रार्थी संख्या 1 से 5 व विप्रार्थी संख्या 1 से 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.07 12:42:46 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 434/312 व खसरा संख्या 436/315 प्रार्थिनी की नाम दर्ज कर दी गई, प्रार्थिनी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित भूमियों का विपरीत पक्षकारों के नाम से अंकित होने से सम्बन्धित कृषि भूमियों में सुधार,कृषि ऋण सहकारी समिति सदस्यता उचित मूल्य के खाद–बीज का प्राप्त करने एवं बैंक के लेन–देन इत्यादि कार्यो में भारी दुविधा उत्पन्न हो रही है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थिनी की भूमि विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज होने तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की भूमि प्रार्थिनी के नाम से राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय त्रुटि से गलत इन्द्राज हाने से प्रार्थिनी को राजस्व बैंकिंग, सहकारी समिति,कृषि मण्डी व अन्य दैनिक कार्यो में रेकर्ड पेश करने पर कठिनाई होती है। लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम दन्ताला के खसरा संख्या 310/4 व 44/313 प्रार्थिनी का नाम तथा खसरा संख्या 434/312 व खसरा संख्या 436/315 विप्रार्थी संख्या 1 से 5 का नाम दर्ज करवाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार सिवाना ने जरिये पत्र क्रमांक–भू.अ./2025/731 दिनांक 21.04.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

प्रार्थिनी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट अनुसार ग्राम दन्ताला के मूल खसरा संख्या 4 व 5 का खातेदारो के मध्य आपसी सहमति विभाजन किया जाने से नामान्तरकरण संख्या 436 दिनांक 12.06.2015 को पारित किया गया जिसके अनुसार ग्राम दन्ताला के मूल खसरा संख्या 4 व 5 रकबा क्रमशः 17.15 बीघा व 15.15 बीघा का सहमति से तीन भाईयों में बराबर–बराबर भूमि का बंटवाडा किया गया, प्रार्थिनी ने विवादित भूमि पूर्व खातेदार वगताराम के वारिसान से र[illegible]ई थी, तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार मौके व न[illegible] भिन्नता है [illegible] मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट ''ब'' अनुसार दुरूस्त किया [illegible] उक्त तरमीम को दुरूस्त किये जाने से निम्नानुसार रकबे में संशोधन होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.07 12:42:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाल...)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालो[illegible]रा)

पुराना रेकर्ड अनुसार			वर्तमान रेकर्ड अनुसार			
ख.सं.	रकबा	किस्म	ख.सं.	रकबा	किस्म	वर्तमान रकबा
434/212 436/315	0.8624 0.7200	मगरा मगरा	5 6 7	1.0681 0.0394 0.5556	मगरा मगरा मगरा	1.6631 +0.0366
310/4 440/313	0.9551 08050	मगरा मगरा	9 8	0.9688 0.7309	मगरा मगरा	1.6997 –0.0366

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के 434/212, 436/315, 310/4 व 440/313 की नक्शा में विद्यमान वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''ब' अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा कमांक–भू. अ./2025/731 दिनांक 22.04.2025 द्वारा प्रेषित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 24-07-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.07 12:42:46 IST
Reason: SelfAttested

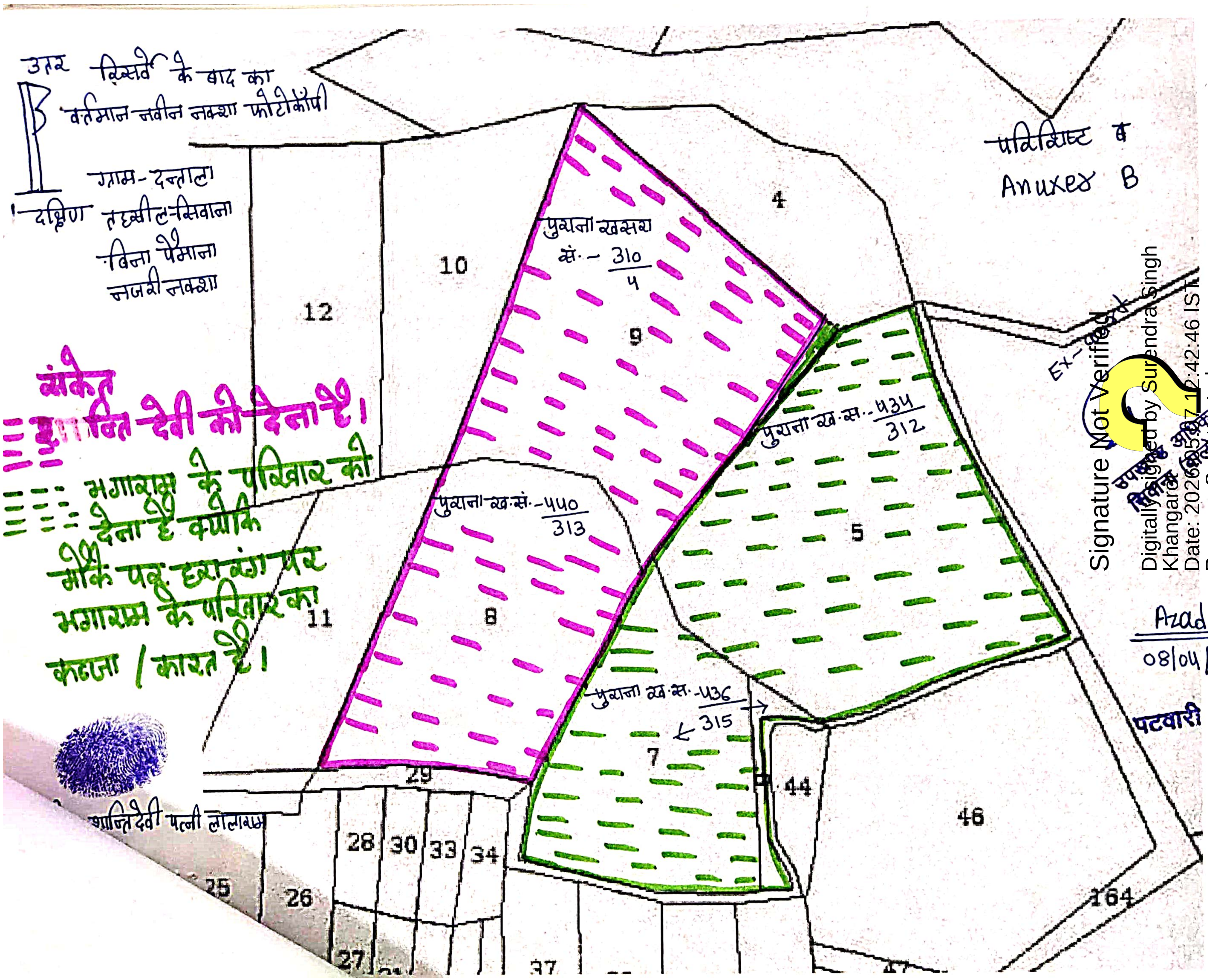

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.07 12:42:46 IST
Reason: Self Attested

Azad
08/04/2025
पटवारी (भू.अ.) देवन्दी